

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक-1445 / 12-1 देहरादून दिनांक: 24 जनवरी, 2024

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्र
थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 0.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग त
प्रत्यावर्तन। (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 10556/2015)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रां
8वी./यू.सी.पी./06/299/2015/एफ.सी./1761 दिनांक 24.01.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित :
भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्ष
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1599/12-1(2) दिनांक 26.12.2023 (प्रति संलग्न) के माध्यम
सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि प क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखा हेतु आवश्यक धनराशि रू0 128912.00 जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का वन विभाग के ना नामान्तरण-हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा नामान्तरण खतौनी संलग्न व गयी है। (संलग्नक-01)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के प संख्या-5-3/2007-एफ0सी. दिनांक 05.02.2009 तहत एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1448685.00 जमा क दी गयी है। रसीद संलग्न है। (संलग्नक-02)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से वचन बद्ध प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-03)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc) को वैव	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्ताव विभाग द्वारा विषयांकित परियोजना की सभी निधियों (C

	पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	Cost, NPV etc) की धनराशि रु 2677597.00 पोर्टल पर (Online Generate) चालान द्वारा कर दी गयी है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-04)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-05)
6.	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-06)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

संख्या-1445 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

भवदीय,
(आर०के० मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

(आर०के० मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

10556 — 158

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1599 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 26-12-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/२९९/२०१५/एफ०सी०/१७६१ दिनांक २४.०१.२०१८।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक ४८११४/२०२३ दिनांक १६.१२.२०२३ द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

कार्यालय

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

पंजी० सं० २६९६

पत्रावली १२-१

दिनांक ३-१-२५

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सांख्यिकी प्रभारी अल्मोड़ा

आ. का. के. र.

०२

३३०५००००/०००

०२-१-२५

18 DEC 2023

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 48114/2023 /वनभूमि/ई-ऑफिस अल्मोड़ा 12-1(2) दिनांक 16-12-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/299/2015/एफ.सी./1761 दिनांक 24.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 6 बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है। जिसकी प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

क्र० सं०	अधिशोषित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 128912.00 जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण-हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा नामान्तरण खतौनी संलग्न की गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 1448685.00 जमा कर दी गयी है। रसीद संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा विषयांकित परियोजना की सभी निधियों (CA Cost, NPV etc) की धनराशि ₹ 2677597.00 पोर्टल पर (Online Generate) चालान द्वारा कर दी गयी है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न है।

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.	प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को भेजने की कृपा करें, ताकि प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।
संलग्न-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय

Signed by Deepak Singh

Date: 15-12-2023 16:23:34

(दीपक सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

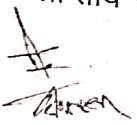
प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र

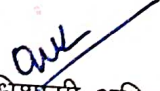
परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है० ग्राम देवायल सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख रखाव योजना की धनराशि ₹ 1228912.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिष्ठासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की बढ़ोतरी हुई है बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिश्रासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

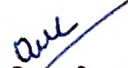
परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि ₹ 1448685.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

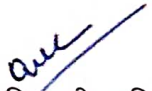
प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु 1228912.00 तथा एन०पी०वी० हेतु रु 1448685.00 कुल रु 2677597.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

ग्राम-देवायल रा.उ.नि.क्षेत्र-देवायल तहसील-सल्ट जिला:
गैर ज.वि.खतीनी उद्धरण, श्रेणी 10(4) बंजर नामाविल आब

खाला सं.	नाम खतिदार	फसली वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.मै.)	लगान	आदेश/विकरण
54.	बंजर नामाविल आबाद	-	1 8 12 14 2807 2830 2892 2917 2926 2934 3297 3363 3369 3374 3378 3383 3390 3394 3396 3398 4466 4492 4532	0.205 0.026 0.155 0.026 0.009 0.330 0.005 0.025 0.642 0.154 0.014 0.346 0.035 0.565 0.050 0.063 0.426 0.752 1.290 0.021 0.044 0.259 0.105		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18 नवम्बर ग्रांट नं. 955 के खेत नं. 88 मध्ये 0.0 भूमि 0.25 पैसा लगान सालाना पर मकान हेतु राम पु. येचराम के नाम स्वीकृत कर नामांकन गई। ह. अ. पटवारी देवायल 18/5/79 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि. 26/3/ नवम्बर ग्रांट नं. 2345 के खेत नं. 88 मध्ये 0.10 पैसा वार्षिक लगान पर मकान, दुकान जौधा सिंह पुत्र लुंवर सिंह के नाम स्वीकृत कर की गई। ह. अ. पटवारी देवायल 18-5-79 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि. 26 नवम्बर ग्रांट नं. 1894 खेत नं. 997 मध्ये 0.10 पैसा वार्षिक लगान पर दुकान हेतु जवाह पुत्र बहादुर सिंह के नाम स्वीकृत कर नामांकन गई। ह. अ. पटवारी देवायल 18-5-79 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश 28/1/ग्यारह-14/2018-19 दिनांक 06 मई 2019 के खेत नं.-2830 क्षेत्र-0.330 खेत नं.-2926 क्षेत्र-0.642 नं. 3363 क्षेत्र-0.346 है, खेत नं.-3374 क्षेत्र-0.565 है, खेत नं. 3383 क्षेत्र-0.059 है, खेत नं.-3390 क्षेत्र-0.426 है, खेत नं. क्षेत्र-0.752 है, खेत नं.-3396 क्षेत्र-1.290 है अर्थात् कुल की कुल 4.410 है भूमि की क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्वीकृत नामांकन की गई। ह. अ. पटवारी देवायल 06/8/2019.
	योग		447	45.525		

महोदय,

मूल खतीनी से नकल तैयार
र.उ.
देवायल

২২/০৫/১৭

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

13	PP/UK/RCA/V/0621/2018 View request.aspx? Url=PP/UK/RCA/V/0621/2018	HCAD0621201815	190170515	10 Nov 2018	CA: 0/- Add CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Add PA: 0/- Plantation of 10 trees 181000/- NPV: 352000/- Other Charges 1: 0/- Other Charges 2: 0/- Other Charges 3: 0/- Total: 187000/-	254	Fund Demand Verified by: 29 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 02 Jul 2018 Transaction Date: 10 Jul 2018	Demand Letter (../write/readdata/Fundpdf/6114121121814) Generated Challan (../UserAccount/Heft_ChallanCorp.aspx?)
14	PP/UK/RCA/V/0621/2018 View request.aspx? Url=PP/UK/RCA/V/0621/2018	HCAD06212018190	1906210390	27 Oct 2017	CA: 2910777/- Add CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Add PA: 0/- NPV: 3808725/- Other Charges 1: 0/- Other Charges 1: 0/- Other Charges 2: 0/- Other Charges 3: 0/- Total: 6117497/-	254	Fund Demand Verified by: 22 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 02 Jul 2018 Transaction Date: 10 Jul 2018	Demand Letter (../write/readdata/Fundpdf/6114125812173) Generated Challan (../UserAccount/Heft_ChallanCorp.aspx?)
15	PP/UK/RCA/V/10556/2015 View request.aspx? Url=PP/UK/RCA/V/10556/2015	HCAD105562015030	110556030	24 Jan 2018	CA: 1220912/- Add CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Add PA: 0/- NPV: 1440605/- Other Charges 1: 0/- Other Charges 1: 0/- Other Charges 2: 0/- Other Charges 3: 0/- Total: 2677597/-	254	Fund Demand Verified by: 13 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 15 Jun 2018 Transaction Date: 21 Jun 2018	Demand Letter (../write/readdata/Fundpdf/6114121912144C) Generated Challan (../UserAccount/Heft_ChallanCorp.aspx?)

123

SWACHH
BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my
GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

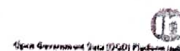
(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in

पत्रांक ५२९६/३६३
सेवा में,

दिनांक रानीखेत ०९/११, २०२३.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु १.२०५ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ८बी./यू.सी.पी./०६/२९९/२०१५/एफ.सी./१७६१ दिनांक २४.०१.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ४.४१ है० ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ४.४१ है० ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ १२८९१२.०० जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण-हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है। नामान्तरण खतौनी प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत एन०पी०वी० की धनराशि ₹ १४४८६८५.०० विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। रसीद संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	विभाग द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी होती है तो वर्तमान अतिरिक्त बढी हुई दर से एन०पी०वी० जमा जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	विभाग द्वारा विषयांकित परियोजना की सभी निधियों (CA Cost, NPV etc) की धनराशि रु २६७७५९७.०० पोर्टल पर (Online Generate) चालान द्वारा कर दी गयी है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में (Strp Plantation) की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

6.	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.	विभाग द्वारा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
----	---	--

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

पत्रांक 4296/36 सी तददिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है० ग्राम देवायल सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख रखाव योजना की धनराशि ₹ 1228912.00 जमा कर दी गयी है।

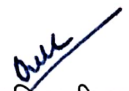

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई है बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता


प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिश्रसी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि ₹ 1448685.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु 1228912.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु ₹ 1448685.00 कुल ₹ 2677597.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

(2)

आदेश

22/05/19

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अधीन स्वतंत्रता-संग्राम-रोना-नियों के गंग अलमोड़ा को मुख्य मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2205 हैक्टर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल-4.410 हैक्टर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II) 2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्मित शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध करायें जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी सल्ट के पत्रांक-कैम्प/205नो/ दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 18.09.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2, तथा उप जिलाधिकारी, सल्ट की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यूसी0 पी0/06/299/2015/एफ0सी0/1761, दिनांक-24.01.2018 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-देवालय,, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-देवाली, तहसील-सल्ट, के गैजेटेड नि0 ख0खा0संख्या-54 की श्रेणी-10(4) "बजंर काबिल आबाद" के खेत संख्या-28330 का रकबा 0.330 है0, खेत संख्या-2926 का रकबा 0.642 है0, खेत संख्या-3363 का रकबा 0.346 है0 खेत संख्या-3374 का रकबा 0.565 है0, खेत संख्या-3383 का रकबा 0.059 है0, खेत संख्या-3390 का रकबा 0.426 है0, खेत संख्या-3394 का रकबा 0.752 है0 तथा खेत संख्या-3396 का रकबा 1.290 है0 अर्थात् ख0खा0सं0 54 के 08 खेत नम्बरों की कुल 4.410 हैक्टर सिविल भूमि को उपर प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उक्त की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार सल्ट उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की पीत प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध करवा जाना सुनिश्चित करें।

1746

14/05/19

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

मार्गदर्शक

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या-2801 / ग्यारह-14 / 2018-19, दिनांक: 26-05-2019

प्रतिलिपि

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड जनपद अल्मोड़ा।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, सल्ट खुमाड को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,

प्रथम वृत्त, लोक निर्माण वि०,

दिनांक: 14/05/2019
 (नितिन सिंह भदौरिया)
 जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि

सीमांकन

संभूत निरीक्षण

आज दिनांक 06-09-2023 को असपट अलमोड़ा के विद्यालय तथा शेष क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के नाम आवमांड को मुख्य भाग से जोड़ने हेतु मोहर भाग में अतिपूरक - अक्षारोपण भूमि का सीमांकन ग्राम देवामल पटवारी क्षेत्र देवामल तहसील क्षेत्र में अमलीम वसतिघर अलमोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा के कामगार प्लॉट संख्या 896/12-1(2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग, राधारक विभाग तथा ब्लॉक निर्माण विभाग के जॉइन्ट अधीनस्थों द्वारा किया गया ग्राम देवामल की पूर्व से - अमनिय 4.410 हे० भूमि के खाता-खसिया नम्बरों का सीमांकन कार्य पक्के वाट के समान भूमि में गाई गये।

अतः जॉइन्ट वसतिघर क्षेत्र भूमि का सीमांकन कार्रवाई कार्य सेवा में अर्पित है।

संलग्न सिद्धि
वन वीट अधिकारी
मानिगा I
गदौलम डकठ क्षेत्र में चंद्र धने
वृक्ष वर्तमान विभाग हैं।

दादा अमल
सुभाष सिंह
रा० प्र० नि०
देवामल

मोविन्द सिंह कनवाला
अधीन
प्रा० खण्ड वाठ नि० वि०
रानीबेलग

मन्नाज कुमार
जानिछ अमन
प्रा० खण्ड वाठ नि० वि०
रानीबेलग

13	FP/UK/ROAD/9017/2014 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9017/2014) Construction of Sarpaata Chunuli Kota Basot Motor Road	ROAD90172014515	619017051530 Nov 2016	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 352809/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 187809/-	CA: 0/- CAT: 0/- Addl CA: 0/- Addl PA: 0/- Plantation of 10 trees effected by project : 1518000/-	9-Add Fund Demand Verified by : 29 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Jul 2018 On Transaction : 10 Jul 2018 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61114121218M) Generated Challan (./UserAccount/Net_ChallanCorp.aspx?)
14	FP/UK/ROAD/9621/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9621/2015) Construction of Deghat Gauras motor road	ROAD96212015390	619621039027 Oct 2017	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3806725/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 6317497/-	CA: 0/- CAT: 0/- Addl CA: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	9-Add Fund Demand Verified by : 22 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Jul 2018 On Transaction : 10 Jul 2018 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61114125812173) Generated Challan (./UserAccount/Net_ChallanCorp.aspx?)
15	FP/UK/ROAD/10556/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10556/2015) Construction of motor road to connect Thaimar village.	ROAD105562015838611055683824	Jan 2018	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1448685/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 2677597/-	CA: 0/- CAT: 0/- Addl CA: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	9-Add Fund Demand Verified by : 13 Jun 2018 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 15 Jun 2018 On Transaction : 21 Jun 2018 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61114121912144C) Generated Challan (./UserAccount/Net_ChallanCorp.aspx?)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.dln@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASHI ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.dln@gov.in

पत्र सं० 08बी/यूसीपीओ/06/299/2015/एफओसी०/7-61

दिनांक: 24/01/2018

प्रैवी मं.

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1273/X-4-15/1(646)/2015 दिनांक 18.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10556/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

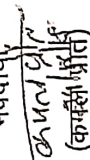
1. प्रयोगता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है० ग्राम-देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोगता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निश्चित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अपर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोगता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने तय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.

Amrinder
24/01/18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वही दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.41 हे० ग्राम-देवायल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० बिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

 (कमल प्रीत)
 वन संरक्षक

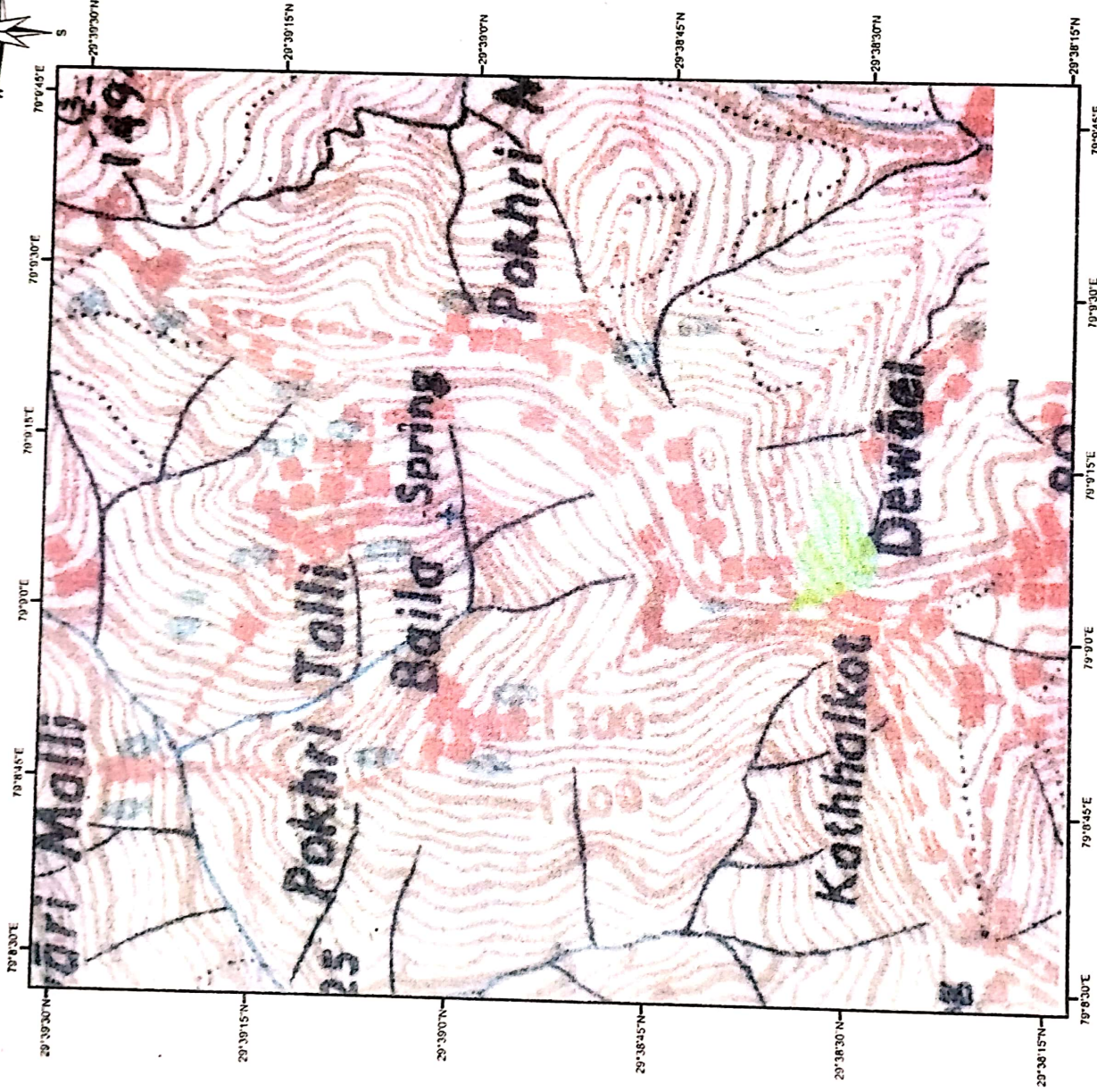
नितिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
 वन संरक्षक

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों के ग्राम थलगाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण
लम्बाई 6.00 कि०मी०

Survey Of India Map (Compensatory Afforestation)



Legend :-

CA Area Devayal 4.410 HE

सहायक अभियंता
प्रा० ख०. लो० नि० वि०
रानीखेत

बीपवासी अभियन्ता
प्रा० ख०. लो० नि० वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

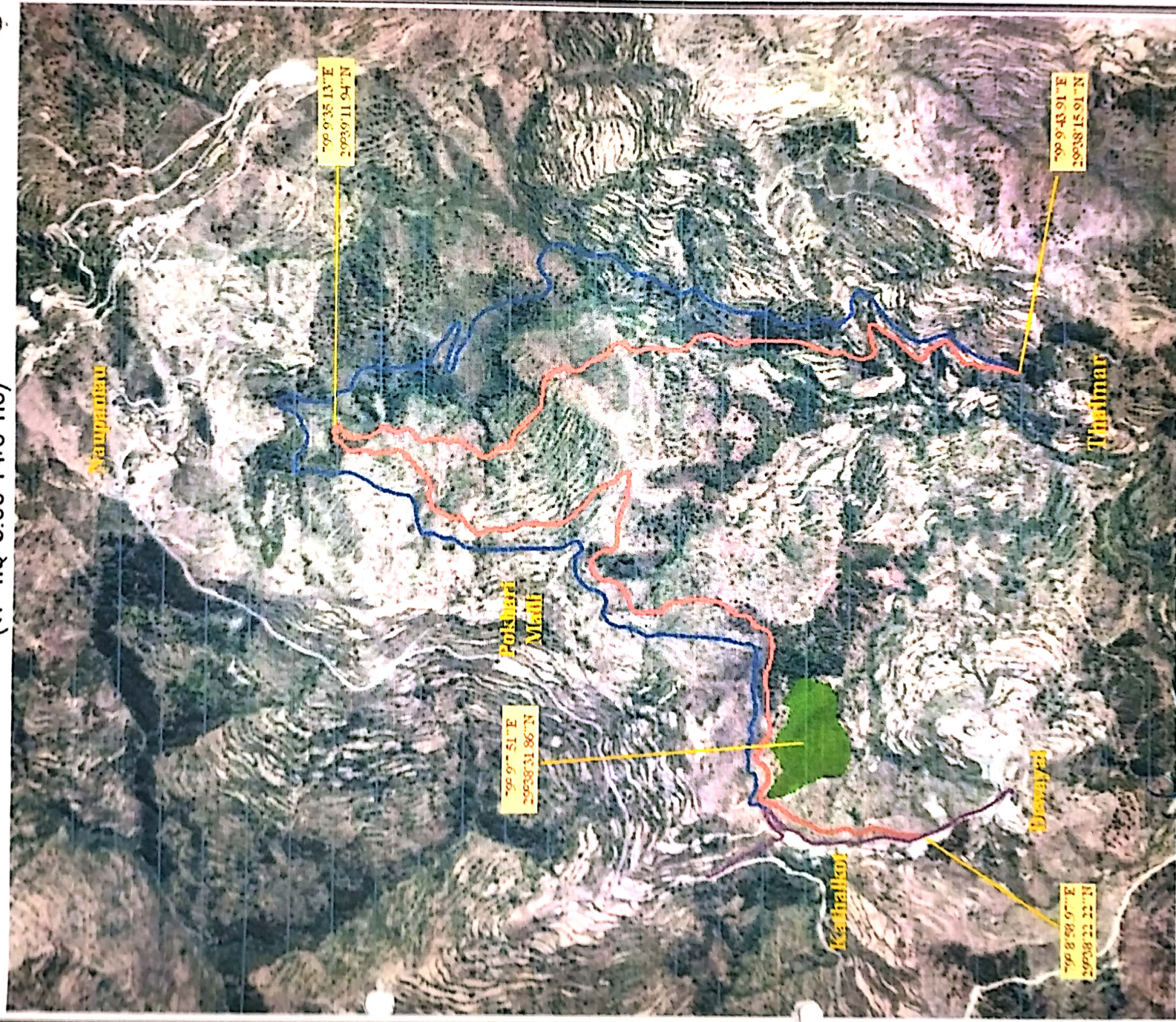
छायाचित्र प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

प्रादेशीय पण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत

उत्प्रेषण
न० ५८ अगिका

डिजिटल मानचित्र -जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अर्न्तगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनारियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 कि०मी०)



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Proposed Plantation

Devayal Civil 4.00 Ha

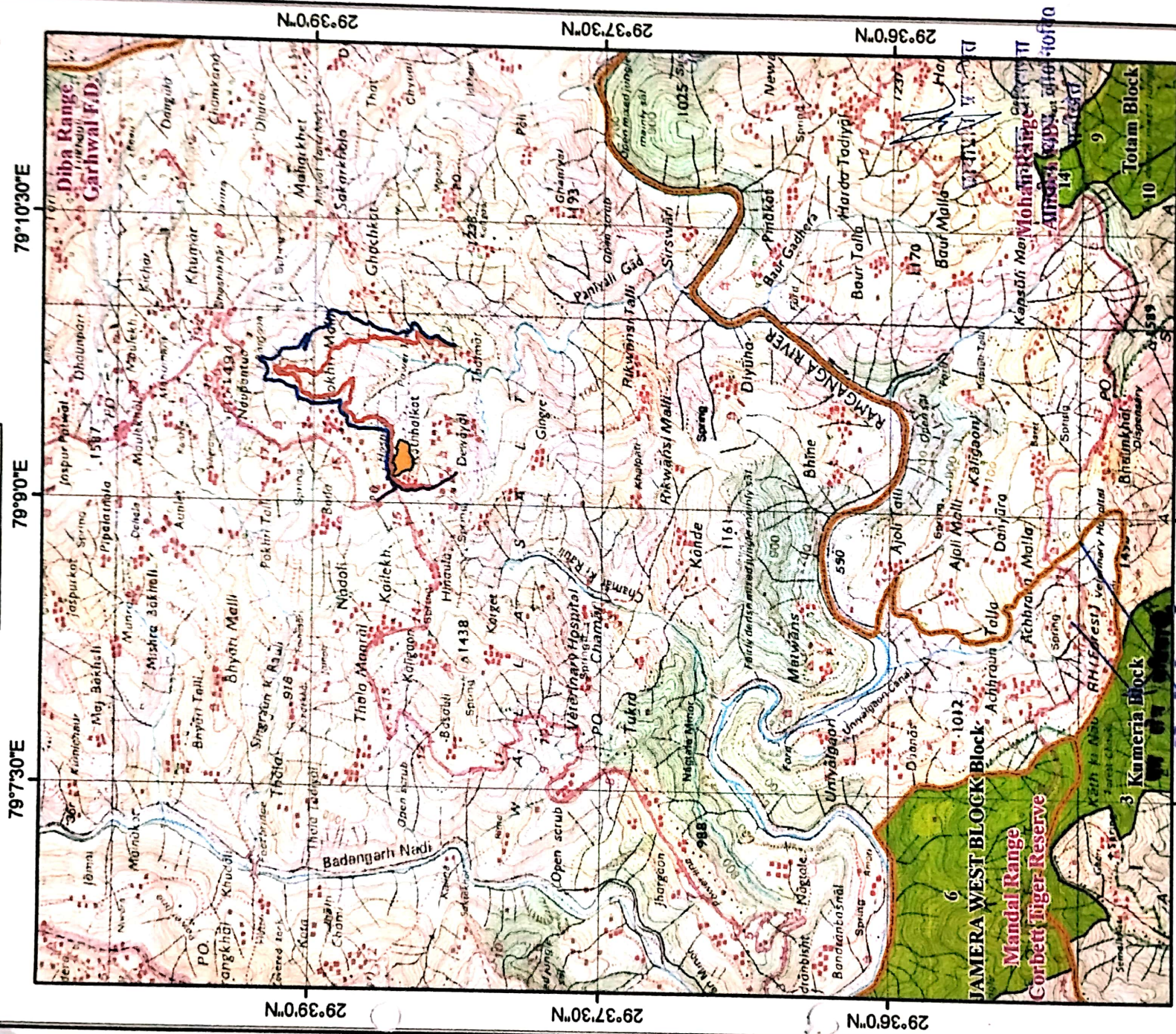
आयुक्त प्रशासित /
सर्वेक्षण विभाग
आयुक्त प्रशासित, लोहागढ़
रामपुर

महापौर

(11)

डिजिटल मानचित्र - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अर्न्तगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km



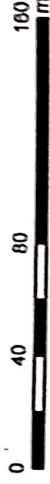
Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Proposed Plantation Dewayal Civil 4.00 Ha
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

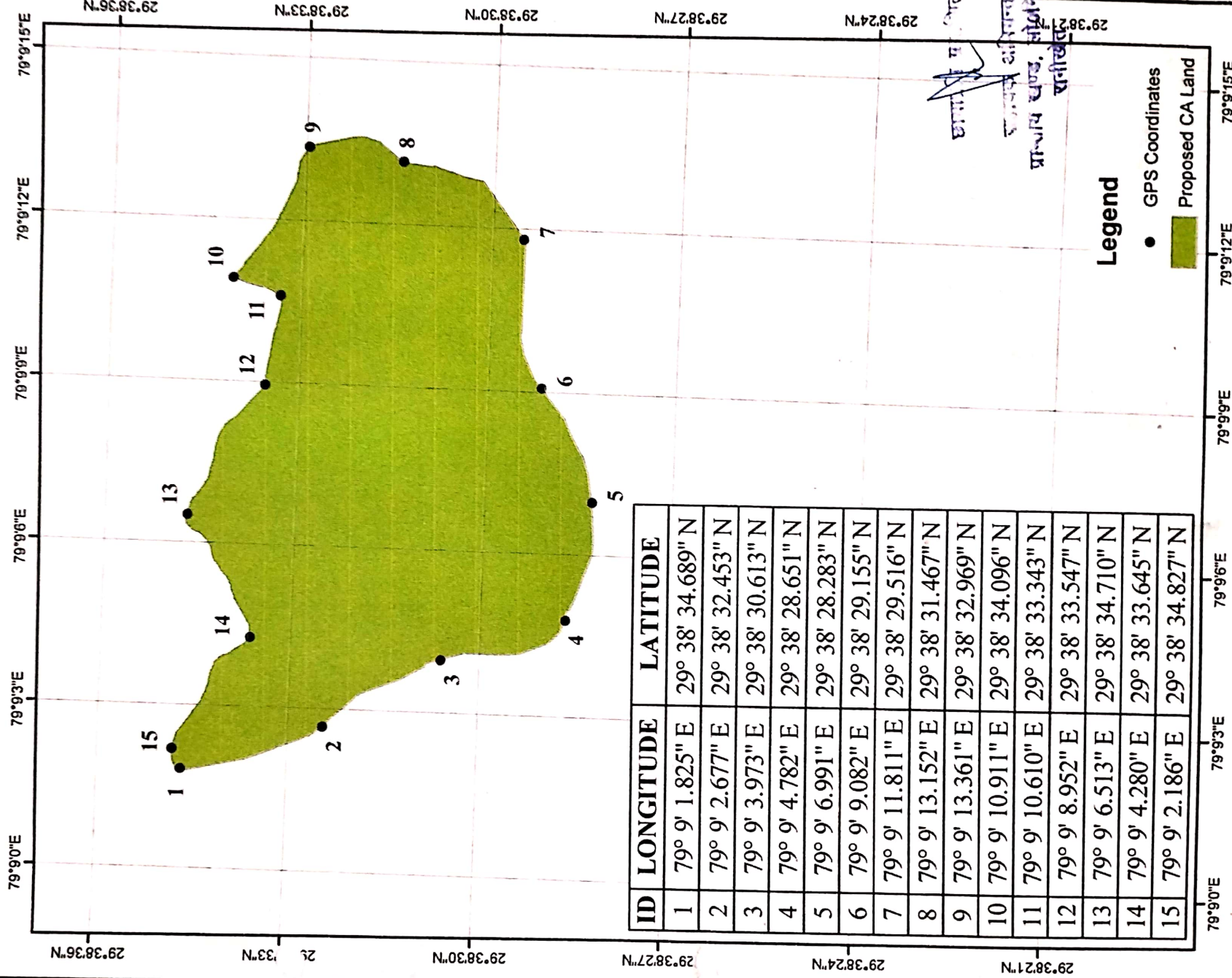
79°7'30"E 79°9'0"E 79°10'30"E
29°36'0"N 29°37'30"N 29°39'0"N

Handwritten notes and signatures in Hindi, including 'मोहन लाल' and 'मोहन लाल'.

जियो रेफरेंस मैप -जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Scale - 1:2,500



Legend

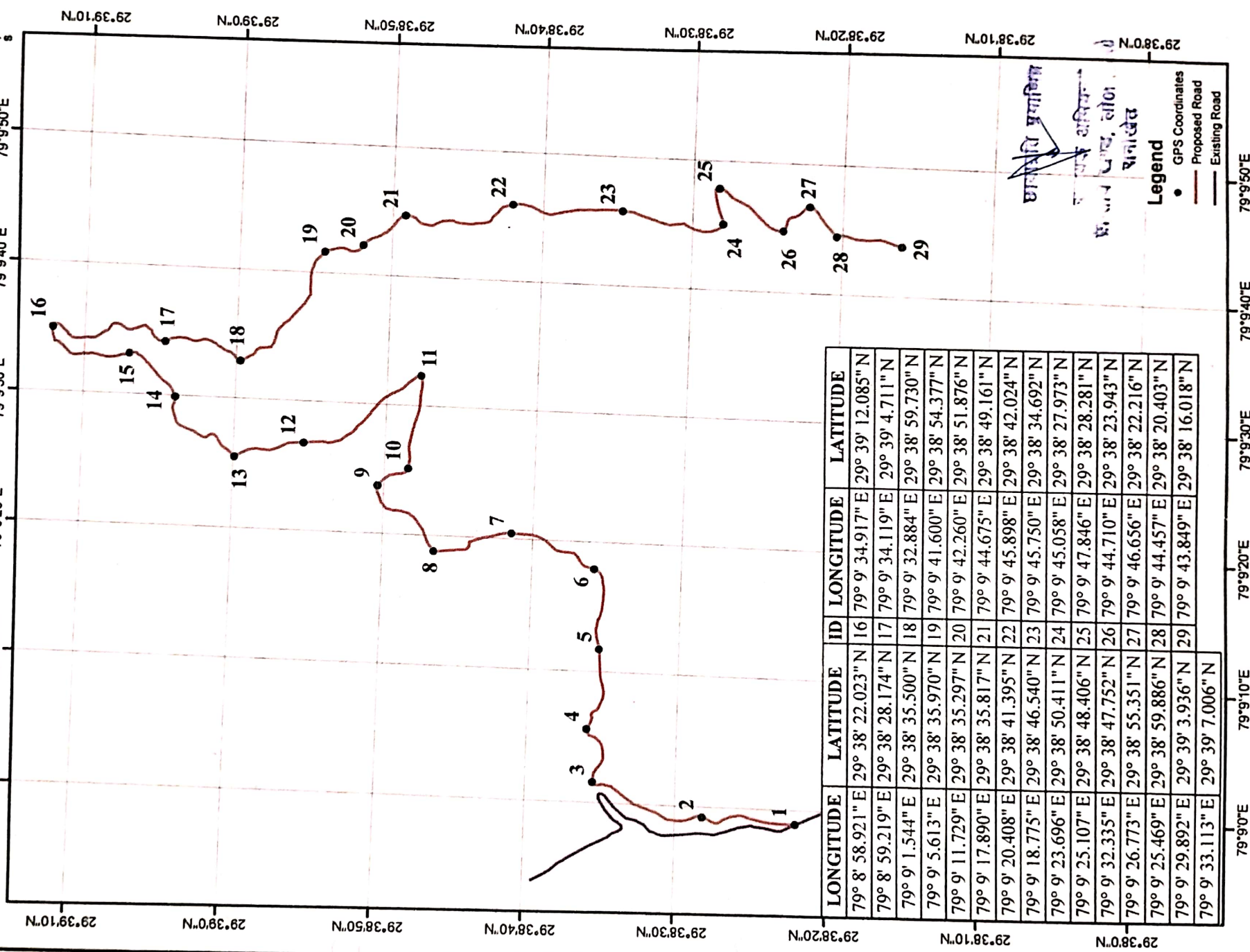
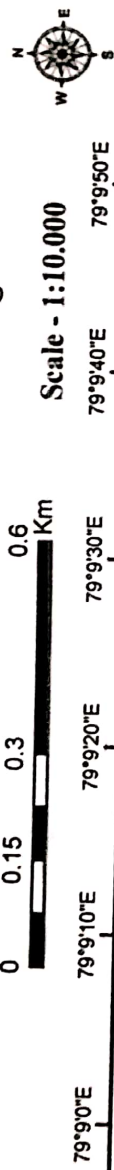
• GPS Coordinates

Proposed CA Land



Scanned with OKEN Scanner

जियो रेफरेंस मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-
आरक्षित वन

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होरो/होरो / देवापुर

तहसील होरो, जिला होरो

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद होरो/होरो के अन्तर्गत होरो/होरो द्वारा होरो/होरो के निर्माण हेतु

वन पंचायत भूमि 1.218 हे० आरक्षित वन भूमि, होरो सिविल सोयम भूमि 1.218 हे०, अर्थात् कुल 2.436 हे० वन भूमि का होरो/होरो द्वारा होरो/होरो के निर्माण हेतु

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत होरो/होरो द्वारा दिनांक 13-10-2014 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम होरो/होरो के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को होरो/होरो प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

होरो/होरो
ग्राम सचिव
(होरो/होरो)

ग्राम पंचायत होरो/होरो
ग्राम सचिव
(होरो/होरो)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उत्तराखण्ड प्रशासन
ग्राम सचिव
ग्राम सचिव, होरो/होरो
रानीयत

प्रपत्र-23.1

13-10-2014-

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत/...../.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री इन्दर सिंह - बिहारी	इन्दर सिंह
2-	श्री कुवरा सिंह - मिर्जा	कुवरा सिंह
3-	श्री ज्ञानदास सिंह	
4-	श्री नारायण सिंह	
5-	श्री सन्देश सिंह	नारायण सिंह
6-	श्री हरिपाल सिंह	हरिपाल सिंह
7-	श्री सनप सिंह	सनप सिंह
8-	श्री देवसिंह	देवसिंह
9-	श्री हरिपाल सिंह	हरिपाल सिंह
10-	श्री कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
11-	श्री महेन्द्र सिंह	
12-	श्री रामा सिंह	
13-	श्री गोपाल सिंह	
14-	श्री नरसिंह	नरसिंह
15-	श्री रामा सिंह	रामा सिंह
16-	श्री अशोक सिंह	
17-	श्री उपराला सिंह	
18-	श्री रामा सिंह	
19-	श्री विवेक सिंह	
20-	श्री रामा सिंह	

21 श्रीमती वसन्ता देवी
अध्यक्ष/पंचायत

प्रधान - कमल

ग्राम पंचायत - थलमांड

पुंजी देवायल

ग्राम प्रधान (अलमोडा)

पंचायत प्रमाणित

पञ्चायत प्रमाणित

मान्तीय पण्ड, लॉन्गिनिवि
रानीखेत

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

स्वातंत्र्य संग्राम दिवस के उपरान्त नवंबर के

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सख्त

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, सख्त

उपखण्ड

परिक्षेत्र

के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के

वृद्ध वन पंचायत

(-)- हे0 आरक्षित वन भूमि, 25 हे0 सविल एवं सोयम, वन भूमि, 25 हे0

भूमि, अर्थात् कुल 50 वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित

जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सख्त) की दिनांक 73-10-01 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सख्त, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-

श्री उपजिलाधिकारी सख्त अध्यक्ष

2-

श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी सख्त सदस्य

3-

श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सख्त सदस्य/सचिव

श्री

वी0डी0सी0 क्षेत्र देवा देवा सदस्य

श्री

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी

की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

स्वातंत्र्य संग्राम सेनानियों के नाम पर वन अधिकारों के

परियोजना हेतु हे0 वन

भूमि पर वन सख्त को 07 हे0 100 मीटर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों

को समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सख्त द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 1102 परियोजना के निर्माण हेतु 2.205 परिक्षेत्र के अन्तर्गत हैं 0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयभा
उपखण्ड स्तरीय प्रश्न अधिकार समिति
तहसील-
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,
.....
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निर्वाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय/वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जानपद.....
28/08/19

८. 
 महाप्रबल अभिप्राय
 प्राप्तीय पत्र, लोकगणवि
 र्गनीयत

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....16.01.15.....at time....6.00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 2.205. hect. for the Construction of Sector 7, Sangram Senani Vill., Thalmar.... of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


16.01.15
गिरि
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


रामचंद्र धरिवाल
प्रान्तीय सचिव, लोका-मंडल
सनीखेत

S.N.	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 24.25^{2.205} hct. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities. Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


Signature
District Collector)

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रादेशिक प्रमुख, लोक-उद्योग

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 2.205.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept., Uttarakhand (Name of user agency) for Construction..of Su. m. m. Sangram Senari's village Thalmar Road.....
(Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Thalmar.....village(s) in Salt.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.205.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above



Signature
District Collector

(Full name of the official seal of the District Collector)


प्रमाणित
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख उप. सचिव
रानीखेत

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

एक

एक (एक) के नाम पर
जो एक बार का नमूना है।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद... के अन्तर्गत प्रस्तावित

पत्र-2006/15

परियोजना के निर्माण हेतु 21.2.2005 राजा के नाम पर वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को

प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
दरभोड़ा

जिलाधिकारी

एक प्रमाण
एक प्रमाण
प्राचीन वन, नमूना
समीक्षित

परियोजना का नाम :-

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड तक मोटर मार्ग के निर्माण में 2.12.85 है 0 वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पटवारी के खतौनी खाता सं 0 ... 54 की 4.4.10 है 0 सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

पटवारी
काथाल तहसील सल्ट
रानीखेत (अल्मोड़ा)
... (हस्ताक्षर) ...

तहसीलदार
तहसीलदार
रानीखेत (अल्मोड़ा)

उप
सहायक अभियन्ता
सल्ट (अल्मोड़ा)
... (हस्ताक्षर) ...

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
रानीखेत

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव थलमाड को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि का क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना (4.410है०)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- देवायल(सिविल), तहसील-सल्ट क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि- 4.410है०

रोपित किये जाने वाल पौधों की संख्या :- 4851 (1100 पौधे प्रति है० की दर से कुल 4851 वृक्ष)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1.	सर्वे एवं सीमांकन	4.410 है०	97.00	427.77
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	4.410 है०	584.00	2575.44
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग) 84 घन मी प्रति है० की दर से	422.00 घन मी	315.00	132930.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
अ	पत्थरों का चैक डेम	4.410	76600	337806.00
ब	वाटर हाउसिंग डेम			
5.	कन्दूर फरों कार्य प्रति है० 600 र०मी० की दर से	1560.00 र० मी	7.33	11434.80
6.	गढा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5544 पौधे	7.33	40637.52
7.	निरीक्षण बटिया बनाना	4.410 है०	485.00	2138.85
8.	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	5544 पौधे	5.89	32654.16
9.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.410 है०	400.00	1764.00
	योग प्रथम चरण -			562368.54
	द्वितीय चरण			
1.	गढा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	5544.000 पौधे	1.15	6375.60
2.	कन्दूर फरों में बीज बुआई प्रति है० 600 र०मी० की दर से	2230.00 र० मी	0.69	1538.70
3.	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	5544.000 पौधे	1.15	6375.60
4.	पौधे डुलान कार्य	5544.000 पौधे	6.39	35426.16
5.	पौधारोपण व थावला बन्दी	5544.000 पौधे	2.06	11420.64
6.	निराई, गुड़ाई व मल्विंग (दो बार)	5544.000 पौधे	0.76	4213.44
7.	खाद व दवा पर व्यय	5544.000 कि०ग्रा	0.21	1164.24
8-1	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रु०:है०X18माह)	5.040 है०	4768.00	24030.72
8-2.	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	2.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.410 है०	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	4.410 है०	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410 है०	600.00	2646.00

आयुक्त प्रमाणित
प्रमुख अभियन्ता
ग्रामीण विकास, लोहा-मणि
रानीपेट

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
9.	अन्य व्यय पौघ डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डैक्लमेशन आदि कार्य	4.410	700.00	3087.00
	योग द्वितीय चरण			98813.85
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			661182.39
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुस्मरण कार्य	6.65	7152.00	47560.80
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
2	अन्य कार्य			
	योग (तृतीय वर्ष रख रखाव)			52345.65
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुस्मरण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
	योग (चतुर्थ वर्ष रख रखाव)			36325.17
	वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुस्मरण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
	योग (पंचम वर्ष रख रखाव)			36325.17

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
यूशारोपण का वंशम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य	4.410	रु० 7152.00	31540.32
2.	2.1 यूशारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व पचलनशील पदार्थों को हटाया प्रसि है	4.410	रु० 350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	4.410	रु० 225.00	992.25
	2.3 यूशारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	रु० 510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (वंशम वर्ष रख रखाव)				36325.17
महायोग				967804.23
अथवा				968000.00

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

वसु धरे अतिकारी
जीरारी वन क्षेत्र
पाल्पोड़ा वन प्रशासक पाल्पोड़ा

अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

महाप्रीय अनीश्वरकाशी,
पाल्पोड़ा वन प्रशासक, पाल्पोड़ा

आयुक्त प्रशासित
आयुक्त प्रशासना
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण
रानीखेत

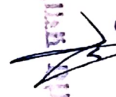
2-1/4

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

- 1- Construction of motorRoad for Thalmar Village.
- 2- Details of Muck Diposal Yards with Land Owner Annexure II


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोअनिवि०,
रानीखेत।


अधियासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोअनिवि०,
रानीखेत।


छायाभाषि प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअनिवि०
रानीखेत

| INDEX |

SL NO.	DESCRIPTION	PAGE NO.	
		FROM	TO
1	TITLE PAGE		
2	DISPOSAL PLAN		
3	OWNER'S DETAIL		
8	ANALYSIS OF RATES		
9	DETAIL OF MEASUREMENT	4	
10	BILL OF QUANTITY		


 ୱାସନ୍ତକି ସିଂହ
 ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ
 ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ
 ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Total Length of Motor Road - 6.00 Km
Length Passing through Nap land - 3857.00mt
Length Passing through Forest land - 3150.00mt

s.n.	material received from hill side cutting (Forest Land)	
1	Km.1-20, 1/2(3150X6X3.00)	28350.00 cum
	total	28350.00 cum
2	40% for swell factor	11340 cum
	total	39690.00 cum

Disposal and use of material

1	Retaining wall	6x200x(0.60+1.59)/2x3	2400	cum
2	Breast Wall	6x100x(0.60+0.90)/2x1.80	810	cum
3	Hand packed stone Filling	(6x350x1x2)/2	2100	cum
4	Construction of scrupper	6x8x37.09	1780.32	cum
5	Soling works	6000x4.05x0.12	2916	cum
6	total used		10006.32	cum
7	material disposed by cartage in dumping yard		29683.68	cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

location of dumping yard	Size of Dumping area	type of land	capacity of dumping yard (cum)
km 1	4X70X20X3	nap land	16800.00
km 4	2X60x20x3	nap land	14400.00

Total 31200.00 cum.

summary of dabries disposal

s.n.	total dabries	material disposal by cartage	reused material for road construction	disposal in dumping zone	balance dabries
1	39690	29683.68	10006.32	29683.68	NIL

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिविड,
रानीखेत।

अधिशोषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिविड,
रानीखेत।

सायाजी प्रसाद
उहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिविड
रानीखेत

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Name of work - Contn. of work							
Detail of Measurement							
S.No.	Item of Work	No.	Length	Width	Height	Qty	unit
1	Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead,lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge. (for 90X15X2.5)						
		1X1	50.00	1.60	0.50	40.00	cum
		1X2X1	18.40	1.60	0.50	29.44	cum
		1X1	60.00	1.60	0.50	48.00	
		1X2X1	18.40	1.60	0.50	29.44	
				Total		146.88	cum
3	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royalty etc,required for propercompletion of work.(As per PWD Uttarakhand specifications						
		1X3	70.00	(0.6+1.6)/2	4.00	924.00	cum
		1X6X1	18.40	(0.6+1.6)/2	4.00	485.76	cum
		1X3	60.00	(0.6+1.6)/2	4.00	792.00	
		1X2X3	18.40	(0.6+1.6)/2	4.00	485.76	
				Total		2687.52	cum
4	Required area of nap land. Area of dumping yard						
		1X3	70.00	20.00		4200.00	
		1X3	60.00	20.00		3600.00	
						7800.00	sqm
						0.78	hec

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधियक्षक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

BILL OF QUANTITIES

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Sl. No.	Name of Item	Qty.	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead, lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge.	146.88	cum	228.40	cum	33547.39
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhhand specifications)	2687.52	Cum	1495.00	Cum	4017842.40
3	Required area of nap land.	0.42	hec.	812500.00	hec	341250.00
		0.36	hec.	812500.00	hec	292500.00
					Total	4685139.79

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण,
रानीखेत।

अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण,
रानीखेत।

वन क्षेत्र अधिकारी
खण्ड का क्षेत्र
कन्वेक्टर वन प्रभाग कलसीडा

प्रजातीय वन अधिकारी,
कलसीडा वन प्रभाग, कलसीडा

U.
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण
रानीखेत

Analysis of rate

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

- 1- Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead,lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge.

Rate as per Roads & Bridges SOR Si No. 75476 16-1	=Rs	228.40	Per Sqm
---	-----	--------	---------

- 2- Random Rubble Masonary laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royalty etc.required for propercompletion of work.(As per PWD Uttarakhand specifications
Rate as per Roads & Bridges SOR Si No. 75478 16-3 =Rs 1495.00 per Sqm

- 3- rate of nap land (upto 100 mt from road side)
unirrigated land

=Rs 812500.00	Per Hec.
=Rs 812500	Per Hec.


 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लोन्निठिवा,
 रानीखेत।


 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लोन्निठिवा,
 रानीखेत।


 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लोन्निठिवा,
 रानीखेत।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई दर	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्व एवं सीमांकन	0.78 है०	78.00	60.84
2	स्थल सफाई कार्य	0.78 है०	2543.00	1983.54
3	कुल दीवारबन्दी कार्य/फर्निशिंग (150मी० प्रति है० = 81घ.मी. / @ 172/घ.मी.	0.78 है०	15309.00	11941.02
4	गड्ढा खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) रेखांकन चूना सहित	1560.00 गड्ढा	5.42	8455.2
5	डीप0मी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	39.00 किग्रा	19.00	741.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (4)० रु० प्रति है०)	0.78 है०	624.00	486.72
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1560.00 पौध	4.30	6708.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 X 4588 = 36700.00	0.78 न०	624.00	486.72
	3. वाटर हार्वैस्टिंग टैंक (3 X 2.50X1.0) 5 X 5140 = 25700.00			
	योग :- 62400.00			
	योग - प्रथम चरण			30863.04
द्वितीय चरण				
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बास)	0.78 है०	1287.0	1003.86
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.450)	1560 गड्ढा	0.97	1513.20
3	पौध डुलान कार्य	1560 पौध	6.00	9360.00
4	पौधारोपण थालबन्दी	1560 पौध	1.89	2948.40
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिग कार्य	1560 पौध	1.29	2012.40
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिग कार्य	1560 पौध	1.11	1731.60
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1560 पौध	1.20	1872.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रख रखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.78 है०	468.00	365.04
9	अन्य कार्य	0.78 है०	310.00	241.80
	योग-द्वितीय चरण			21048.30
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			51911.34
तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०				
1	पौध की लागत	1560 पौध	5.50	8580.00
2	पौध डुलान कार्य	1560 पौध	6.00	9360.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	1560 पौध	3.20	4992.00
4	पौधों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1560 पौध	1.31	2043.60
5	पौधों की शीतकालीन मल्लिग	1560 पौध	1.11	1731.60
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.78 है०	468.00	365.04
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.78 है०	310.00	241.80
	योग - तृतीय चरण			27314.04
चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.78 है०	468.00	365.04
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.78 है०	310.00	241.80
	योग - चतुर्थ चरण			606.84
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.78 है०	468.00	365.04

Ex. 2.1

उदायक अभियाना
प्रान्तीय टाण्ड, लोअ-10वि0

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रति माह	प्रति वर्ष	कुल
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य			
	योग - पंचम चरण			
				606.84
छठवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.78	₹0	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)			365.04
	योग - छठवा चरण	0.78	₹0	241.80
				606.84
सातवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.78	₹0	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.78	₹0	310.00
	योग - सातवा चरण			241.80
				606.84
आठवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.78	₹0	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.78	₹0	310.00
	योग - आठवा चरण			241.80
				606.84
नववा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.78	₹0	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.78	₹0	310.00
	योग - नववा चरण			241.80
				606.84
दसवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.78	₹0	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.78	₹0	310.00
	योग - दसवा चरण			241.80
				606.84
कुल धनराशि				
		प्रथम चरण		30863.04
		द्वितीय चरण		21048.30
		तृतीय चरण		27314.04
		चतुर्थ चरण		606.84
		पंचम चरण		606.84
		षष्ठम चरण		606.84
		सप्तम चरण		606.84
		अष्टम चरण		606.84
		नवम चरण		606.84
		दशम चरण		606.84
		कुल योग :-		83473.26
		या :-		83473.00

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

अधिक्षेत्रीय अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

प्रभारी कनिष्ठ,
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 296 / ए-3/कुमायूँ/2006

दिनांक, 31-10-2006

सेवा में,

अधिवासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग,
रानीखेत।

विशय :-

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड मोटर मार्ग के 6.00 किमी. सड़क संरेखन का भूगर्भीय निरीक्षण।

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड मोटर मार्ग के 6.00 किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी0-293/सड़क संरेखन/कुमायूँ/2006 की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

[Signature]
31.10.06

(मणि कर्णिका मिश्र),

भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 296 / ए-3/कुमायूँ/2006

तददिनांक,

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 43वें वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
3. भू-वैज्ञानिक लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
प्रमाणित

प्रमुख खण्ड, लो0नि0विभाग
रानीखेत

भू-वैज्ञानिक

लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

सत्य प्रतिलिपि

[Signature]

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ),
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग, रानीखेत
मुख्यालय - रानीखेत

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी-292 / सड़क संरेखन
/ कुमायूँ / 2006

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड़ मोटर मार्ग के 6.00
किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

छाया में प्रमाणित
प्रमाणित अभियन्ता
सहजीव खण्ड, मोहम्मद
समाख्यत

अक्टूबर
2006

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता, चतुर्थ,
भारतीय खण्ड, मोहम्मद, समाख्यत
मुख्यालय - रातनगर

इस संरेखन क्षेत्र में चट्टानों में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत है :-

घास आदि

मिट्टी की परत

डेब्रिस

शिश्ट

शिश्ट

क्वार्ट्ज

शिश्ट

नाईस

नाईस

क्वार्ट्ज

नाईस

इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

4. स्थल वर्णन :-

यह सड़क संरेखन हिनोला-काने-खलपाटी मोटर मार्ग के किमी. 2.00 से प्रारम्भ होकर थलमाड ग्राम के बीच 6.00 किमी. लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर 250 मी. पश्चिमोत्तर दिशा को पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद किमी. 1 के अन्त तक संरेखण दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। किमी. 2 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर तथा किमी. 3-6 का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर है।

इस संरेखण के किमी. 1 में गिंगडे एवं प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है। किमी. 2 में देवायल ग्राम एवं इंटर कालेज, प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है। किमी. 5-6 में थलमाड गांव एवं मंदिर तथा प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है।

इस संपूर्ण संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप भूमि में तथा शेष भाग नाप भूमि में से होकर गुजरता है। इसे संरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान हैं। नाप भूमि में मिट्टी के नीचे चट्टानें विद्यमान हैं। इस संरेखण में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है। नाप भूमि में कोई भी बृक्ष विद्यमान नहीं है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखण स्थल देखे गये जिसमें से प्रथम संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है। द्वितीय संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है।

5. स्थायित्व का विचार :-

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बनावट स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

आयुर्विज्ञान

मस्य प्रतिलिपि

उपस्थित

महायक

प्राप्त

महायक

चनीखेत

गन्तीय मण्ड, लोत्त

मुड्यालय - रा

1. यह सड़क संरेखन पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह भूकम्पीय क्षेत्र है।
3. पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
4. इसमें कोई ग्राम विद्यमान है।
5. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग एवं बेचाप भूमि से गुजरता है।
6. इसमें कोई सूखे चाले विद्यमान है।
7. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में।
8. इसमें कोई भी पेरिनियल चाला विद्यमान नहीं है।
9. इसमें कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
10. इसमें कोई प्राइमरी पाठशालाएं एवं गदिर तथा एक इंटर कालेज विद्यमान है।

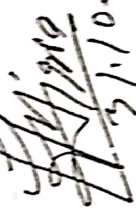
6- सुझाव :-

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बगलवट स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. पहाड़ी की ओर चाली का निर्माण किया जाय।
2. सूखे चालों पर स्कपर/डबल स्कपर/ कलवर्ट/ कॉजवे का निर्माण किया जाय।
3. मिट्टी/डेब्रिस/गोंव वाले भाग में बेस्ट/स्टेनिय चाल का निर्माण किया जाय।
4. मिट्टी वाले भाग में मार्ग के बाह्य भाग को उच्चा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में मार्ग को पार कर पानी न बह सके तथा मार्ग स्थायित्व बना रहे।
5. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।
6. गोंव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले पुलों के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
8. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
9. अन्य आवश्यक उपाय जो संरेखन क्षेत्र में मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

7. निष्कर्ष

1. उपरोक्त वर्णित विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।
2. उपरोक्त वर्णित विन्दुओं पर स्थल निरीक्षण के दिन सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।


31/10/06

(गणि कर्णिका मिश्र)

भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमार्ग क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

सत्य प्रतिनिधि



प्रमुख उप-निर्देशक
राज्य सड़क निगम
राज्य सड़क निगम, अल्मोड़ा (उ.प्र.)

प्रादेशिक सड़क निगम (अ.प्र.)
मुंबई - राजमार्ग

वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लंबाई — 6.00 किमी.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रजाति	व्यास वार श्रेणी								योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	देवायल	चीड़	10	5	-	-	-	-	-	-	15

सपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों की सं० 15 है।

(P) (समपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(सुनित कुमार सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(के० एस० असवाल)
अधियासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

राजि वनाधिकारी

वन दफ्तर

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रमाणित

समपाल सिंह

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत